


राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

क्रमांक एफ-3/मुख्या/सां/आईटी/35-सी/11/64 दिनांक: 21/11/11


कार्यालय-आदेश

निगम के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा निगम कार्य से की गई यात्राओं ( On Duty ) के लिये ड्यूटी पास पर यात्रा की जाती है। ऐसी यात्रा के लिये उन्हें शून्य मूल्य का टिकिट प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं ऐसी यात्राओं में उन्हें सामान्य यात्री माना जायेगा तथा स्टाफ हेतु निर्धारित कोटा इससे अप्रभावी रहेगा। अर्थात् ऑन ड्यूटी यात्रा के लिये आरक्षण सीट का प्रभाव कर्मचारियों द्वारा निःशुल्क यात्रा विनियम, 1985 के अन्तर्गत देय सुविधा के लिये आरक्षित सीट पर नहीं पड़ेगा।

  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

क्रमांक एफ-3/मुख्या/सां/आईटी/35-सी/11/64 दिनांक: 21/11/11  
प्रतिलिपी:-

- 1 निजी सचिव, श्रीमान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रापनि, मुख्यालय-जयपुर।
- 2 समस्त विभागाध्यक्ष ( ), राज.परि.निगम, मुख्यालय-जयपुर।
- 3 महा प्रबंधक/संयुक्त महा प्रबंधक ( ) रापनि, मुख्यालय-जयपुर।
- 4 जोनल मैनेजर, राजस्थान परिवहन निगम, ----- जोन।
- 5 उप महा प्रबंधक/कार्यकारी प्रबंधक ( ) रापनि, मुख्यालय-जयपुर।
- 6 मुख्य उत्पादन प्रबंधक/लेखाधिकारी ( ) रापनि, के.का.-----
- 7 मुख्य प्रबंधक/प्रबंधक (वित्त/प्रशासन) राज.परि.निगम, ----- आगार।
- 8 आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
उप महा प्रबंधक (सांख्यिकी)